

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./बायोमेट्रिक/2017/ 270

दिनांक: 7/11/2017

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान।

विषय:- बायोमेट्रिक मशीन को RAAS में इन्टीग्रेट करवाने के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशक (जन स्वा0) के पत्रांक: चि.प्र./बायोमेट्रिक/2017/277 दिनांक
09.03.17 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बायोमेट्रिक मशीन को RAAS Software से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, इस सॉफ्टवेयर पर रियल टाइम मॉनीटरिंग सम्भव है। बायोमेट्रिक मशीन को RAAS में इन्टीग्रेट करवाने के संबंध में प्रभारी अधिकारी, DoITC के द्वारा प्रत्येक मेक/मॉडल की एक एक बायोमेट्रिक मशीन व उसका ड्राइवर को परीक्षण करने हेतु DoITC, Jaipur कार्यालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, इसी क्रम में आप अपने अधीन आने वाले समस्त चिकित्सा संस्थानों से प्रत्येक मेक/मॉडल की एक एक बायोमेट्रिक मशीन व उसका ड्राइवर को परीक्षण हेतु निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह उल्लेख है कि स्थापित बायोमेट्रिक मशीन के स्थान पर संबंधित बायोमेट्रिक मशीन को स्थापित करने वाली कम्पनी से सम्पर्क कर प्रत्येक मेक/मॉडल की सैम्पल मशीन व उसका ड्राइवर भिजवाना हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आज दिनांक तक Driver/Device अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि उक्त आदेशों की पालना तीन दिवस में आवश्यक रूप से करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, साथ ही आप Driver/Device के साथ किसी किसी तकनीकी कर्मचारी का नाम एवं मो0 नम्बर भी उपलब्ध करावें। जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे तकनीकी जानकारी प्राप्त की जा सकें।

अति0 निदेशक (चि0प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./बायोमेट्रिक/2017/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. अति0 निदेशक (चि.प्र.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (वीवीआईपी) एवं स्टेल नॉडल प्रभारी, बायोमेट्रिक, मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (चि0प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर